

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -2697 / 2011 / बीकानेर.
2. अपील संख्या -2698 / 2011 / बीकानेर.
3. अपील संख्या - 745 / 2013 / बीकानेर.
4. अपील संख्या - 746 / 2013 / बीकानेर.

मैसर्स रामदेव अग्रवाल, गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, बीकानेर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 05 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत ये अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारीगण ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-VI, वृत्त-A, बीकानेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पारित पृथक-पृथक आदेशों के जरिये आरोपित मांगों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किया था तथा अपील निर्णय में कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया था जबकि शास्ति को अपास्त कर दिया गया था।

2. इन सभी अपीलों में विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है। अपीलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	क.नि.आ.दिनांक	कर निर्धारण अवधि
1.	2697 / 11	07.05.2014	12.03.2013	2009-10 RVAT
2.	2698 / 11	07.05.2014	12.03.2013	2010-11 CST
3.	745 / 13	07.05.2014	14.03.2013	2010-11 RVAT
4.	746 / 13	07.05.2014	14.03.2013	2009-10 CST

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत त्रैमासिक व वार्षिक रिटर्न में विक्रय की गयी वस्तु 'साजी' को कर मुक्त बिक्री घोषित किया गया था जबकि अधिनियम की कर अनुसूची-IV में क्रम संख्या 153 पर 'साजी' अंकित होने से वह 4 प्रतिशत से कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया कि साजी व पापड़खार एक ही वस्तु है एवं राज्य सरकार द्वारा पापड़खार को करमुक्त कर दिया है अतः साजी को भी करमुक्त माना जावे। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुये कर मुक्त दर्शाई गई बिक्री पर दिनांक 08.03.2010 तक 4 प्रतिशत से एवं दिनांक 09.03.2010 से 5 प्रतिशत से कर, तदनुसार अनुवर्ती ब्याज एवं करवंचना किये जाने के आरोप में अधिनियम की धारा 61(1) के तहत शास्ति आरोपित कर दी। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, जिनमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण की अपीलें शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार कर दी गई तथा कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश अनुचित व अविधिक होने से अपास्तनीय हैं। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-I, वृत्त-ए, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन दिनांक 09.10.2012 के वाद के निष्ठारण हेतु उपायुक्त (प्रशासन), बीकानेर द्वारा पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानांतरित की गई जो नियम विरुद्ध है। अपीलार्थी को क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी का नियमित कर निर्धारण सम्पूरित हो चुका था अतः धारा 26 के तहत प्रकरण को रि-ओपन करना भी विधि-विरुद्ध है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कोई बिक्री छिपाई नहीं गयी थी न ही लूज पेपर्स बरामद हुए, न ही सर्वेक्षण किया गया। अतः ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार का बदला जाना अनुचित है।

5. अग्रिम कथन किया कि धारा 30 सपटित धारा 26 के तहत कोई भी कार्यवाही मात्र विचार भिन्नता के आधार पर करना पूर्णतः गलत है व विभाग के पास ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे प्रकरणों को रि-ओपन किया जा सके।



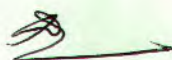

लगातार.....3

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 01.04.2006 को साजी को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य अधिसूचित किया गया था एवं साजी मुख्य रूप से पापड़ के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है तथा साजी का ही दूसरा नाम पापड़ खार है। राज्य सरकार ने दिनांक 25.08.2008 को अधिसूचना जारी कर पापड़खार को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.04.2006 से करमुक्त कर दिया था किन्तु अनुसूची-IV में वर्णित सूची में साजी शब्द को विलोपित नहीं किया क्योंकि राज्य सरकार की मंशा पापड़खार और साजी एक ही वस्तु मानने से वह स्वतः ही पापड़खार के साथ 25.08.2008 से करमुक्त हो गई। विद्वान अभिभाषक द्वारा ब्याज आरोपण को भी अविधिक बताते हुये इसे अपास्त करने का निवेदन किया एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि साजी व पापड़खार अलग-अलग वस्तुएं हैं क्योंकि साजी प्राकृतिक रूप से तैयार होती है तथा पापड़ खार को समुद्री खारे पानी को प्रशोधन कर केमिकलाइज्ड रूप से निर्मित किया जाता है एवं दोनों के बाजार भाव में भी अंतर है साथ ही राज्य सरकार द्वारा दोनों पर भिन्न कर दर अधिसूचित कर रखी है। विभागीय परिपत्र दिनांक 29.10.1994 को निरसित अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाना बताया जो वेट अधिनियम में लागू नहीं है क्योंकि दिनांक 01.04.2006 से राज्य में वेट अधिनियम प्रभावी हो गया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेशों को उचित बताया एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण में विवाद का बिन्दु एक स्वतंत्र वाणिज्यिक वस्तु 'साजी' की कर देयता से सम्बन्धित है जिसे पापड़खार मानकर उसी अनुसार करमुक्ति का लाभ चाहा गया है, इस पर विचार किया गया। राज्य में वेट अधिनियम, 2003 के लागू होने पर विभिन्न वस्तुओं के लिये कर दर निर्धारण के लिये कर अनुसूची जारी की गई थी, जिसकी कर अनुसूची-I में वे वस्तुएं रखी गई हैं जिन्हें कर मुक्त रखा गया है। इसके अलावा कर अनुसूची-IV में 4 प्रतिशत की कर दर की वस्तुएं रखी गई हैं। इस प्रकरण में विवादित वस्तु 'साजी' जो कि पापड़ के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती है, अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 153 पर दिनांक 01.04.2006 से दर्ज थी अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया है। उसी तरह पापड़खार अनुसूची-IV के पार्ट-B की प्रविष्टि संख्या 271 पर अंकित होने से 4 प्रतिशत से कर देय था।

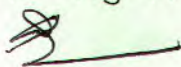



10. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह विवाद किया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2006 से जारी अनुसूची-IV के पार्ट-B की प्रविष्टि संख्या 271 पर पापड़ खार अंकित था, जिसे दिनांक 25.02.2008 की अधिसूचना संख्या F-12/FD/TAX/2008-72 दिनांक 25.02.2008 के जरिये Schedule-1 की प्रविष्टि संख्या 37 में रख दिया गया, जिससे पापड़खार दिनांक 25.02.2008 से करमुक्त हो गया।

11. इसी तरह राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2011 से अधिसूचना संख्या F.12(25)FD/TAX/11-128 के जरिये 'साजी' को भी कर अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 123 पर सम्मिलित कर दिया गया जिससे 'साजी' दिनांक 09.03.2011 से करमुक्त हो गई।

12. उक्तानुसार राज्य में साजी एवं पापड़खार दोनों अलग-अलग कर योग्य प्रविष्टियों पर अंकित होने से 01.4.2006 से ही कर योग्य वस्तुएं थी इन्हें अलग-अलग अधिसूचना के जरिये पापड़खार को दिनांक 25.02.2008 से करमुक्त किया गया, जबकि 'साजी' को दिनांक 09.03.2011 से कर मुक्त किया गया। फलतः 'साजी' पर दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 09.03.2011 तक 4/5 प्रतिशत से कर देयता थी क्योंकि वे कर अनुसूची-4 में उल्लेखित थी। इस तरह इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2006 से साजी एवं पापड़खार पर अलग-अलग वस्तु के रूप में कर दर निर्धारित की हुई थी जो कि राज्य सरकार की कर निर्धारण अधिकारिता का विषय है।

13. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.02.2008 को पापड़खार को करमुक्त करने की अधिसूचना को 'साजी' पर भी लागू होना मानकर इस पर कर अदा नहीं किया गया बल्कि करमुक्त विक्रय किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि VAT Act, 2003 लागू होने से पूर्व प्रचलित राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में पापड़ खार को दिनांक 07.03.1994 की अधिसूचना के जरिये करमुक्त किया गया था तब पापड़ निर्माता व्यवहारियों द्वारा 'साजी' जो कि 'साजी खार' भी कहा जाता है, उसे पापड़ खार की श्रेणी में मानते हुए करमुक्त माना जाने का ज्ञापन देने पर वाणिज्यिक कर आयुक्त ने दिनांक 29.10.1994 को परिपत्र जारी कर 'साजी' व 'पापड़खार' को एक ही वस्तु मानते हुये इसे करमुक्त बताया था अतः VAT Act में भी दिनांक 25.02.2008 को पापड़खार को करमुक्त कर दिये जाने से उसी अनुसार 'साजी खार' को भी करमुक्त माने जाने का तर्क दिया है। अपीलार्थी का यह तर्क विधिसम्मत नहीं है क्योंकि VAT Act लागू होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वस्तु को करमुक्ति अथवा करदेयता की कर दर अनुसार

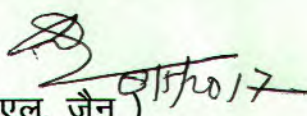



लगातार.....5

अनुसूचियों में प्रविष्ट किया गया था एवं जिस वस्तु का नाम कर अनुसूची I to IV में सम्मिलित नहीं था उन्हें सामान्य कर दर की अनुसूची-V में शुमार किया गया था। VAT Act लागू होने के बाद किसी संदेह को समाप्त करने के लिये प्रत्येक वस्तु का नाम अनुसूची में अंकित किया गया। VAT Act लागू होने से पूर्व राज्य के भीतर की करमुक्ति अथवा कर दर का दिनांक 01.04.2006 के पश्चात कोई अस्तित्व नहीं रहा बल्कि दिनांक 01.04.2006 के बाद अधिसूचित कर देयता लागू हो गई। चूंकि राज्य सरकार द्वारा पापड़ खार जो कि समुद्री खारे पानी से एवं केमिकल का प्रयोग कर निर्मित होता है उसे अलग वस्तु के रूप में अनुसूची-IV के पार्ट-बी में करयोग्य किया गया, जबकि 'साजी' जो कि प्राकृतिक वनस्पति से निर्मित होता है जो मुख्यतया SALSOLA STOCKSII नामक Shrub से बनाया जाता है उसे अनुसूची-IV की अलग प्रविष्टि में रखा गया। इस तरह राज्य सरकार द्वारा दोनों वस्तुओं को अलग-अलग उत्पाद मानकर अलग-अलग जगह पर रखा गया। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं को एक ही वस्तु मानकर दिनांक 25.02.2008 से कर मुक्ति दिये जाने का तर्क निरर्थक है। विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि कर संबंधी प्रावधानों में स्पष्ट अंकन को अलग व्याख्या से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त दोनों वस्तुएं जो पापड़ उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है उन्हें अलग-अलग प्रकृति की वस्तु मानकर समय-समय पर अलग-अलग करदेयता एवं करमुक्ति की गई है। यह भी उल्लेख करना उचित है कि सामान्य तौर पर भी साजी एवं पापड़खार की अलग-अलग वस्तु के रूप में बाजार में पहचान है। साजी एवं पापड़खार को कभी भी एक वस्तु नहीं माना जाता है अतः 'साजी' को पापड़ खार माने जाने का तर्क पूर्णतया अर्थहीन होने से खारिज किया जाता है।

14. विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को कि अधिनियम की धारा 26 के तहत मत परिवर्तन के आधार पर किया गया कर निर्धारण अविधिक है, उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में मत अंतर का प्रश्न न होकर यह किसी वस्तु की करदेयता से सम्बन्धित प्रश्न है जो कि पूर्व में करमुक्त मानकर निर्धारण किया गया था, जिसे पुनः कर निर्धारण किया जाने में कोई अविधिकता नहीं की है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त अपीलें अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य